न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/443

1. सूबेसिंह पुत्र नाथा
2. कलावती पत्नी सुलतान
3. विद्याधर पुत्र सुलतान
4. राजेश पुत्र सुलतान
5. उमेश पुत्र सुलतान
6. निक्की पुत्र सुलतान
7. अनीता पुत्री सुलतान जातियान अहीर निवासीयान ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर राज०।

–अपीलांट्स

बनाम

1. तहसीलदार महोदय, तहसील बहरोड हाल नीमराना जिला अलवर बहैसीयत भूमिधारी

–रेस्पोडेन्ट्स

2. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण शाखा माजरी कला तहसील नीमराना जिला अलवर राज०।

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.12.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर प्रार्थना पत्र संख्या 20/2015 अंतर्गत धारा 136

उपस्थित–

1. श्री विजय सिंह राठौड वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–08.09.2025

संभागीय आयुक्त
जयपुर

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर राजस्थान के निर्णय दिनांक 17.12.2019 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर वाके ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर में आराजी खसरा नंबर 829 रकबा 55 ऐयर भूमि को गत रिकार्ड अनुसार अपीलार्थीगण के नाम खातेदारी को कलमजन कर तथा बैंक रहन से मुक्त कर चारागाह दर्ज करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

तहसीलदार के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त आराजी को राजहित में चारागाह दर्ज करने के आदेश दिनांक 17.12.2019 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 17.12.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी नीमराना दिनांक 17.12.2019 निरस्त करने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 829 रकबा 55 ऐयर वाकै ग्राम कायसा कभी चारागाह भूमि नही रही है, बल्कि उक्त आराजी अपीलाण्टान की पेत्रक दादालाई आराजी रही है, इसका पुराना नम्बर 794 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा वाकै ग्राम कायस तहसील नीमराना था, उक्त नम्बर मिसल बन्दोबस्त के समय रेवेन्यू कर्मचारीयों की गलती के कारण खसरा नम्बर 794 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा की जगह खसरा नम्बर 801 दर्ज कर दिया गया जो कि किसी त्रुटि के कारण किया गया था जिससे जाहिर है कि प्रश्नगत आराजी चारागाह नहीं रही है बल्कि संवत 2020 से मिन अपीलाण्टान की खातेदारी में रही है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नही किया। उक्त आराजी खसरा नम्बर 794 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा जो अपीलाण्टान के दादा जयराम के नाम थी जिनके देहान्त के बाद अपीलाण्टान के पिता के नाम दर्ज विरासत हुई और इस प्रकार अपीलाण्टान को उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई, इस प्रकार हाल आराजी खसर नम्बर 829 रकबा 55 ऐयर वाकै ग्राम कायसा जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्टान की ओर से बहस में भी मोखिक निवेदन किया कि खसरा नम्बर 829 कभी चारागाह नही रही है यह राज विभाग की भूल से खसरा नंबर 794 की जगह खसरा नम्बर 801 लिख दिया गया है जबकि वास्तविकता में इसका खसरा नम्बर 829 से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है तथा खसरा नम्बर 829 का पुराना नम्बर 794 है तथा जिसका रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एक समान है तथा खसरा नम्बर 801 पुराना चारागाह है जिसका रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा आज भी मौजूद है, जिसका मिसल बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 801 की जगह खसरा नम्बर 794 किया जाये। जिससे बखूबी साबित था कि प्रश्नगत आराजी हमेशा खातेदारी की भूमि रही है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमराना 17.12.2019 निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम कायसा में स्थित प्रश्नगत आराजी ख.नं. 829 रकबा 55 ऐयर किस्म बारानी दोयम जो कि साबिक ख0नं0 801 मिन रकबा 2 बीघा 4 बिरवा से बना है। साबिक ख०नं० 801 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा बंदोबस्त पूर्व चारागाह भूमि थी तथा गत बंदोबस्त सवंत 2020 में भी साबिक ख0नं0 801 चारागाह भूमि थी। हाल बंदोवस्त सवंत 2042–61 में अपीलार्थीगण ने बंदोबस्त

अधिकारियों ने बिना किस सक्षम आदेश/आवंटन के उपरोक्त विवादित आराजी ख0नं0 829 को अपने नाम दर्ज करवा लिया जो कानूनन नियम विरूद्ध खातेदारी में दर्ज हुआ है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग व उपभोग को पशुओं के चरने की चारागाह भूमि है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सभी तथ्यों की जॉच व अवलोकन उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वाके ग्राम कायसा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 829 रकबा 55 ऐयर किस्म बारानी दोयम जो साबिक खसरा नम्बर 801 मिन रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा से बना है। साबिक खसरा नम्बर 801 मिन रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा बंदोबस्त पूर्व चारागाह भूमि थी तथा गत बंदोबस्त सम्वत 2020 में भी साबिक खसरा नम्बर 801 चारागाह भूमि थी। हाल बंदोबस्त सम्वत् 2042–61 में बिना किसी सक्षम आदेश/आवंटन के उक्त विवादित आराजी खसरा नं. 829 अपीलार्थीगण के नाम सहबन से नियम विरूद्ध खातेदारी में दर्ज हुआ है। विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की भूमि है तथा पशुओं के चरने की चारागाह भूमि है। उपर्युक्त सभी तथ्यों के अवलोकन पश्चात् ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि उचित एवं विधिसम्मत है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है।

अतः आदेश है कि: उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2019 यथावत रखा जाता है।

(भूमि)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।